न्यायालय जिला कलक्टर जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :– डॉ. रविकुमार सुरपुर, आई.ए.एस

राजस्व अपील संख्या:– 42/2017

अपीलार्थीगण	बनाम	प्रत्यर्थीगण
1– मीरा पुत्री स्व. चूनाराम उर्फ चुन्नीलाल पत्नी बुद्धाराम जाति भील निवासी डोली कला, दोलिकल्लन, जिला बाड़मेर। 2– कमला देवी उर्फ बाया पुत्री चुन्नीलाल पत्नी रामेश्वरलाल जाति भील निवासी गोविन्दपुरा, चांदसमा तहसील सोरगढ जिला जोधपुर।		1– भोमाराम पुत्र चूनाराम उर्फ चुन्नीलाल 2– ओमाराम पुत्र चूनाराम उर्फ चुन्नीलाल 3– लीलादेवी पत्नी हुक्माराम पुत्रवधु चूनाराम 4– राजूराम पुत्र चूनाराम उर्फ चुन्नीलाल 5– श्यामलाल पुत्र चुनाराम उर्फ चुन्नीलाल जातियान भील निवासी माणकलाव जिला जोधपुर। 6– पाबूराम पुत्र गोबरराम भील निवासी गंगाणा तहसील लूणी जिला जोधपुर। 7– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जोधपुर। 8– ग्राम पंचायत माणकलाव जरिये सरपंच।

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध नामान्तरकरण सं0 496 दिनांक 16.05.1989 ग्राम माणकलाव जो नायब तहसीलदार जोधपुर द्वारा स्वीकार किया गया, को निरस्त किये जाने बाबत्।

उपस्थिति :–

आदेश दिनांक 23.05.2018

1– श्री आशुतोष निर्मल अधिवक्ता (अपीलार्थीपक्ष)
2– श्री अनोपसिंह अधिवक्ता (प्रत्यर्थी सं0–6)
3– प्रत्यर्थी संख्या–1,2,3,4,5,8 इत्तला बावजूद अनुपस्थित।
4– सरकारी पेरोकार अनुपस्थित (प्रत्यर्थीपक्ष–4)

:– आदेश –:

अपील अपीलार्थी के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि वाके ग्राम माणकलाव

लगातार...

तहसील जोधपुर के खेत खसरा 496 रकबा 23 बीधा 10 बिस्वा अपीलार्थी व प्रत्यर्थीपक्ष 1 ता 5 के पूर्व पूरूष चुनाराम पुत्र भूराराम भील के नाम से खातेदारी भूमि आई हुई थी। चुनाराम की मृत्यु होने के पश्चात् उसके विधिक प्रतिनिधियों में पुत्रों के नाम से ही अपीलाधीन नामान्तरकरण नायब तहसीलदार जोधपुर द्वारा स्वीकार कर दिया, जिससे व्यथित होकर अपीलार्थीगण की ओर से यह अपील मीमों मय धारा 5, भा. परिसीमा अधिनियम प्रार्थना–पत्र पेश हुआ।

अपील मियाद बिन्दु शर्त के साथ दर्ज रजिस्टर कर प्रत्यर्थीपक्ष को नोटिस जारी किये गये तथा मूल अभिलेख भी तलब किया गया। प्रत्यर्थी सं0–2 ओमाराम की ओर से अधिवक्ता श्री गजेन्द्रसिंह तंवर, प्रत्यर्थी सं0–1,3,4,5 की ओर से अधिवक्ता श्री जालमसिंह राठौड़ एवं प्रत्यर्थी–6 की ओर से अधिवक्ता श्री अनोपसिंह सोलंकी ने उपस्थित होकर वकालतनामे पेश किये। प्रत्यर्थी–7 व 8 अनुपस्थित। मूल नामान्तरकरण प्राप्त होने के पश्चात् दिनांक 16.05.2018 को उपस्थित पक्षकारान के अधिवक्तागण की बहस गुणावगुण सुनी गई।

अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने बहस में बतलाया कि वाके ग्राम माणकलाव तहसील जोधपुर के खेत खसरा 496 रकबा 23 बीधा 10 बिस्वा अपीलार्थी व प्रत्यर्थीपक्ष 1 ता 5 के पिता/ससुर चुनाराम पुत्र भूराराम भील के नाम से खातेदारी भूमि आई हुई थी। चुनाराम की मृत्यु होने के पश्चात् उसके विधिक प्रतिनिधियों की पूर्ण जांच नहीं कर मात्र पुत्रों के नाम से ही अपीलाधीन नामान्तरकरण नायब तहसीलदार जोधपुर द्वारा स्वीकार कर दिया, जबकि अपीलार्थीगण भी स्व. चुनाराम की जायन्दा पुत्रियां होने से उनकी सम्पति में हिस्सा पाने की अधिकारीणी है। अपीलार्थीगण एवं प्रत्यर्थीगण सं. 1 ता 5 का सामलाती कब्जा काश्त चला आ रहा है। बहस में आगे बतलाया कि अपीलाधीन नामान्तरकरण प्रत्यर्थी–1 से 5 के पक्ष में स्वीकार करने में अपीलार्थीगण की कोई सहमति नहीं ली गई। बहस में यह भी कहा कि जिस दिन नामान्तरकरण की कार्यवाही की गई उस दौरान अपीलार्थीया–एक की आयु मात्र 19 साल तथा अपीलार्थीया–2 की मात्र 09 वर्ष की थी अतः अपीलाधीन नामान्तरकरण प्रत्यर्थी सं0 1 ता 5 के पक्ष स्वीकृत किये जाने की सहमति देना कतई संभव नहीं है। बहस के निरन्तर में यह भी बतलाया कि प्रत्यर्थी–6 ने अपीलार्थीगण द्वारा भूमि बेचान के संबंध में कथित सहमति पत्र दिनांक 24.11.2010 देने एवं रकम प्राप्त कर रसीद देने का कहा गया वो गलत है। बहस में यह भी कहा कि हाल ही में अपीलार्थीगण को सरकार की महत्वाकांक्षी योजना फसल बीमा योजना का लाभ लेने के लिए राजस्व रिकॉर्ड की जानकारी की एवं रिकॉर्ड की प्रमाणित प्रतिलिपि देने हेतु हलका पटवारी को कहा गया तब पटवारी द्वारा राजस्व रिकॉर्ड में अपीलार्थीगण का नाम नहीं होना बताया गया, तब अपीलाधीन नामान्तरकरण की प्रतिलिपि दिनांक 25.09.2017 को प्राप्त की गई। अतः राजस्व रिकॉर्ड की नकल लेने के बाद अपील अन्दर मियाद पेश की गई। अन्त में अपील में हुए विलम्ब को क्षमा कर अपील स्वीकार कर अपीलाधीन नामान्तकरण निरस्त करने की प्रार्थना की।

प्रत्यर्थीपक्ष–6 के विद्वान अधिवक्ता ने लिखित बहस प्रस्तुत करते हुए बतलाया कि विवादग्रस्त भूमि पूर्व में अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी 1 ता 5 के पूर्वपुरूष चुनाराम की खातेदारी की थी तथा चुनाराम की मृत्यु के पश्चात् उसके पांचों पुत्रों के नाम अपीलाधीन नामान्तकरण स्वीकृत किया गया। स्व. चुनाराम जाति से भील (अनु. जनजाति) का सदस्य होने के कारण हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 2 अनुसूचित जन जातियों के सदस्यों पर लागू नहीं थी जिस कारण अपीलार्थीगण के नाम अपीलाधीन नामान्तरकरण में इन्द्राज नहीं किये गये। बहस में आगे कहा कि अपीलार्थीगण ने अपने भाईयों के पक्ष में एक सहमति पत्र एवं प्राप्त रसीद दिनांक 24.11.10 को निष्पादित कर नोटरी से तस्दीक करवा कर प्रत्यर्थीपक्ष 1 ता 5 को सुपुर्द की गई थी तथा अपीलार्थीगण ने 5 लाख रूपये लेकर विवादग्रस्त भूमि से अपना हक त्याग कर दिया। अतः अपीलार्थीगण को अपीलाधीन नामान्तरकरण की जानकारी दिनांक 24.11.2010 से पूर्व होने के पश्चात् भी करीब 28 वर्ष बाद अपील प्रस्तुत की गई, जो अत्यधिक विलम्ब के कारण निरस्त योग्य है। बहस के निरन्तर में कहा कि प्रत्यर्थी सं. 1 ता 5 ने अपने अपने हिस्से की भूमि का बेचान अलग अलग व्यक्तियों को आगे कर दिया गया। श्यामलाल व हुकमाराम पुत्र स्व. चुनाराम ने ओमाराम पुत्र भोमाराम के पक्ष में दिनांक 21.12.10 को पंजीबद्ध बेचाननामा कर दिया गया तथा उक्त ओमाराम ने अपने खरीदसुदा उक्त भूमि आगे प्रत्यर्थी–6 पाबूराम के पक्ष में दिनांक 04.03.2011 को बेचान कर दिया गया। इसी प्रकार अन्य खातेदार भोमाराम, राजूराम पि. स्व. चुनाराम ने अपने हिस्से की भूमि का बेचान भंवरलाल के हक में एवं इसी भंवरलाल ने उक्त खरीदसुदा भूमि का बेचाननामा दिनांक 04.03.2011 को प्रत्यर्थी संख्या–6 के पक्ष में किया गया, इस प्रकार सम्पूर्ण भूमि 23.10 बीघा भूमि का नामान्तरकरण सं0 1385 पाबूराम के पक्ष में स्वीकृत होने के पश्चात् राजस्व रिकॉर्ड में पाबूराम का नाम इन्द्राज किया गया। बहस में आगे कहा कि प्रत्यर्थी–6 पाबूराम ने उक्त भूमि को आवासीय प्रयोजनार्थ जोधपुर विकास प्राधिकरण को समर्पण करते हुए नामान्तरकरण सं0 1604 जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के नाम से आवासीय प्रयोजनार्थ दर्ज हो गया तथा इसकी भी जानकारी अपीलार्थीपक्ष को है। बहस के अन्त में कहा कि वर्तमान में विवादग्रस्त भूमि जोधपुर विकास प्राधिकरण के खाते में इन्द्राज होने के पश्चात् भी आवश्यक पक्षकार नहीं बनाये जाने एवं अत्यधिक विलम्ब से प्रस्तुत होने के कारण निरस्त करने की प्रार्थना की।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया। अपील का गुणावगुण निर्णय करने से पूर्व प्रार्थना–पत्र धारा 5, भा. परिसीमा अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते है। अपीलार्थीपक्ष ने प्रार्थना–पत्र में बतलाया कि उसको अपीलाधीन नामान्तरकरण की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 22.09.2017 को तहसील कार्यालय से सम्पर्क करने पर प्राप्त हुई जिसके पश्चात् अपीलार्थीगण ने अपने अधिवक्ता से सम्पर्क करने एवं अधिवक्ता द्वारा नामान्तरकरण की नकल दिनांक 25.09.2017 को प्राप्त की गई। प्रत्यर्थीपक्ष की ओर से प्रार्थना–पत्र के जबाब में बतलाया कि अपीलार्थीगण ने अपने भाईयों के पक्ष में एक सहमति पत्र एवं राशि प्राप्त रसीद दिनांक 24.11.10 को निष्पादित कर नोटरी से तस्दीक करवा

कर प्रत्यर्थीपक्ष 1 ता 5 को सुपुर्द की गई थी तथा अपीलार्थीगण ने 5 लाख रूपये लेकर विवादग्रस्त भूमि से अपना हक त्याग कर दिया। प्रत्यर्थीपक्ष की ओर से दिनांक 24.11.2010 को अपीलार्थीपक्ष ने प्रत्यर्थीपक्ष 1 ता 5 के पक्ष में 100/–रूपये के स्टाम्प पर किये गये सहमति पत्र जो फोटोयुक्त एवं नोटरी पब्लिक से तस्दीकसुदा है की फोटो प्रति, विवादित भूमि में अपीलार्थीगण का जो हिस्सा बनता है उसके एवज में प्रत्यर्थीगण 1 ता 5 से प्राप्त 5 लाख रूपये की रसीद (नोटरी पब्लिक तस्दीकसुदा) की फोटो प्रति, विवादग्रस्त भूमि को आवासीय प्रयोजनार्थ रूपान्तरित करने से पूर्व सार्वजनिक सूचना का नोटिस अखबार में साया करने की प्रति एवं राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी की प्रति का अवलोकन करने से प्रथम दृष्टया स्पष्ट जाहिर होता है कि अपीलार्थीगण को अपीलाधीन नामान्तरकरण की जानकारी दिनांक 24.11.2010 को एवं उससे पूर्व होने के पश्चात् करीब 28 वर्ष बाद अपील प्रस्तुत की गई अतः प्रस्तुत अपील में हुए विलम्ब को क्षमा करने के जो कारण बतलाये गये वो संतोषजनक व विश्वसनीय योग्य नही है तथा वास्तविक तथ्यों को छुपाने की कोशिश की गई अतः इस स्टेज पर भी अपील निरस्त योग्य है। वर्तमान में विवादग्रस्त भूमि कृषि भूमि न होकर आवासीय प्रयाजनार्थ में रूपान्तरित हो चुकी है ऐसी स्थिति में अपीलार्थीगण को अपने स्वत्व तय कराने के लिए सक्षम न्यायालय में चाराजोई करनी चाहिए।

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील निरस्त योग्य होने से निरस्त की जाती है। आदेश की प्रति के साथ मूल नामान्तरकरण पुनः तहसीलदार जोधपुर को प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।